रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012025-260500
CG-DL-E-27012025-260500

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2025/ माघ 4 , 1946
No. 439] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2025/MAGHA 4, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी 2025

का.आ. 443 (अ). — केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पाखल वन्यजीव अभयारण्य, तेलांगना के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 3596(अ) द्वारा, तारीख 30 नवम्बर, 2016 को एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकेगी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3596(अ), तारीख 30 नवम्बर, 2016 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3596(अ), तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और पैरा 6 के लिए, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. मानीटरी समिति.** – केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिती का गठन करेगी, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

(क)	मुख्य सचिव, तेलांगना सरकार	- अध्यक्ष, पदेन;
(ख)	मुख्य वन्यजीव संरक्षक, तेलांगना सरकार	- सदस्य, पदेन;
(ग)	सचिव, शहरी विकास विभाग, तेलांगना सरकार या उनके प्रतिनिधि	- सदस्य, पदेन;
(घ)	सचिव, पर्यावरण विभाग, तेलांगना सरकार	- सदस्य, पदेन;
(ङ)	सचिव, वन विभाग, तेलांगना सरकार	- सदस्य, पदेन;
(च)	सचिव, कृषि विभाग, तेलांगना सरकार या उनके प्रतिनिधि	- सदस्य, पदेन;
(छ)	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, तेलांगना सरकार या उनके प्रतिनिधि	- सदस्य, पदेन;
(ज)	प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जिसे तेलांगना सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	- सदस्य;
(झ)	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	- सदस्य, पदेन;
(ञ)	किसी प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यायल से पारिस्थितिकी के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे तेलांगना सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	- सदस्य;
(ट)	पारिस्थितिकी संवेदी जोन से संबंधित जिला कलेक्टर	- सदस्य, पदेन;
(ठ)	राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव/सदस्य	- सदस्य, पदेन;
(ड)	प्रभागीय वन अधिकारी (संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी)	- सदस्य, पदेन;
(ढ)	निदेशक, पर्यावरण विभाग	सदस्य –सचिव।

6. मानीटरी समिति के कार्य.- (1) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या यथास्थिति, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) उन क्रियाकलापों की, जो उपपैरा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति

द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जायेगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत फाईल करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) मानीटरी समिति मामला-दर-मामला के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि को अपने विचार विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(5) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-IV में विनिर्दिष्ट निदर्शन पत्र में प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसा वह उचित समझे।"

[फा.सं. 25/14/2014-ईएसजेड/आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना का.आ. 3596(अ), तारीख 30 नवम्बर, 2016 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi,the 24th January ,2025

S.O. 443(E).—WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Pakhal Wildlife Sanctury, Telangana in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3596(E), dated the 30th November, 2016;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 3596(E), dated the 30th November, 2016;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2), and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment,

Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3596(E), dated the 30th November, 2016, namely:-

In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the provisions of this notification consisting of the following persons, namely: -

(a)	Chief Secretary, Government of Telangana	Chairman, ex officio;
(b)	Chief Wildlife Warden, Government of Telangana	Member, *ex officio*;
(c)	Secretary, Department of Urban Development, Government of Telangana or his representative	Member, *ex officio*;
(d)	Secretary, Environment Department, Government of Telangana	Member, *ex officio*;
(e)	Secretary, Forest Department, Government of Telangana	Member, *ex officio*;
(f)	Secretary, Agriculture Department, Government of Telangana or his representative	Member, *ex officio*;
(g)	Secretary, Rural Development Department, Government of Telangana or his representative	Member, *ex officio*;
(h)	One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Telangana after every three years	Member;
(i)	One representative of State Pollution Control Board	Member, *ex officio*;
(j)	One expert in the area of ecology from reputed Institution or University to be nominated by the Government of Telangana after every three years.	Member;
(k)	District Collector concerned with the Eco-sensitive Zone	Member, *ex officio*;
(l)	Member Secretary/Member of State Biodiversity Board	Member, *ex officio*;
(m)	Divisional Forest Officer (in charge of Protected Area)	Member, *ex officio*;
(n)	Director, Department of Environment	Member Secretary.

6. **Functions of the Monitoring Committee.** – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment

Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of that notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or concerned stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30th June of that year in pro forma specified in Annexure-IV.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions."

[F. No. 25/14/2014-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 3596(E), dated the 30th November, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.01.27 16:12:24 +05'30'